घरेलू नल कनेक्शन से जलापूर्ति की हो रही कारगर पहल,11 जिलों की नलजल योजना पर होंगे ढ़ाई अरब से अधिक खर्च

पेज 1 का शेष

जिलों के लिए ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना में 2 अरब 52 करोड़ 80 लाख 39 हजार रूपये की (रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत) स्वीकृति जारी की गई है।

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना में ग्वालियर की 28, गुना की 10, अशोकनगर की 25 एवं शिवपुरी की 9 जल संरचनाएँ, मुरैना की 46 एवं भिण्ड जिले की 5 जल संरचनाएँ तथा सागर की 10, दमोह की 42, पन्ना की 25, छतरपुर की 16 एवं टीकमगढ़ की 29 जल संरचनाओं को शामिल किया गया है।

योजना में शामिल सभी ग्रामों में पूर्व में निर्मित पेयजल अधोसंरचना के उपयोगी अवयवों को शामिल करते हुए जल संरचनाओं पर क्रियान्वयन किया जाना है।

सभी 245 जल संरचनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद इनकी डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार करवायी जाएगी। इन ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओं पर विभाग की जिला इकाइयों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

अब 1 साल पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी, अपनी सैलरी के हिसाब से समझें कैलकुलेशन

नई दिल्ली, 24 सितम्बर(ए.)। आकाश कुमार को एक निजी कंपनी में नौकरी करते करीब 5 साल होने वाले हैं. कुछ दिन पहले तक आकाश कुमार नौकरी बदलना चाहते थे लेकिन सहयोगी ने 5 साल पूरा कर ग्रेच्युटी लेने की सलाह दी है. आकाश ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन नौकरीपेशा लोगों को आकाश की तरह इतने दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है. आसान भाषा में समझें तो आपको कंपनी हर साल ग्रेच्युटी देगी. अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था. ये नियम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा. बता दें कि ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है. इसके लिए लगातार 5 साल एक ही कंपनी में कार्यरत होना जरूरी होता है. हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है. ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होती है.

कैसे कैलकुलेट होती है रकम

कुल ग्रेच्युटी की रकम = (अंतिम सैलरी) × (15/26) × (कंपनी में कितने साल काम किया).

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए कि कुंदन ने 7 साल एक ही कंपनी में काम किया. कुंदन की अंतिम सैलरी 35000 रुपये (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर) है. तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा— (35000) × (15/26) × (7)= 1,41,346 रुपये. मतलब ये कि कुंदन को 1,41,346 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा.

कैलकुलेशन में 15/26 का मतलब

दरअसल, एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्यु?टी का कैलकुलेशन होता है. वहीं, महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी होती है. ग्रेच्युटी कैलकुलेशन की एक ?अहम बात ये भी है कि इसमें कोई कर्मचारी 6 महीने से ज्यादा काम करता है तो उसकी गणना एक साल के तौर पर की जाएगी. अगर कोई कर्मचारी 7 साल 7 महीने काम करता है तो उसे 8 साल मान लिया जाएगा और इसी आधार पर ग्रेच्युटी की रकम बनेगी. वहीं, अगर 7 साल 3 महीने काम करता है तो उसे 7 साल ही माना जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 5 करोड़ से अधिक का अनियमित व्यय किया

विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी जवाब-तलब

पेज 1 का शेष

के अनुपालन में इन 19 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जुलाई 2017 से जून 2018 तक रू. 5.77 करोड़ व्यय कर एमपीएलयूएन से 32,063 वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किये थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएलयूएन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्य प्रदेश के अनुरोध (जनवरी 2017) पर पी.वी.सी फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट हेतु अगस्त 2016 से जुलाई 2017 के दौरान रू.1.134 प्रति वर्ग मीटर तथा नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2018 के दौरान रू1078 प्रति वर्ग मीटर की दर से दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रेक्ट) किया था। दो बैलेट यूनिटों (बी.यू)हेतु एक वोटिंग कम्पार्टमेंट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1.626 वर्ग मीटर है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में एक वोटिंग कम्पार्टमेंट (दो बैलेट यूनिट) की प्रभावी दर इस अवधि के दौरान क्रमशः रू 1844 तथा 1753 थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भारत के निर्वाचन आयोग के अनुदेशों (नवम्बर 2016)के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तरप्रदेश ने कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट (फ्लैक्स बोर्ड)से बने एक , दो , तीन एवं चार बैलेट यूनिट वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट के लिए क्रमशः रू135, रू150, रू165 तथा रू180 प्रति बैलेट यूनिट की दर तय की थी। इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश में भी एक बैलेट यूनिट के लिए प्रयुक्त वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर रू 222 प्रति वोटिंग कम्पार्टमेंट तय की गयी थी। स्पष्टतः मध्यप्रदेश में वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की तुलना असाधारण रूप से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में यह महसूस किया गया कि चूंकि कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में सम्मिलित नहीं थी तथा उक्त सामग्री एम.पी.एल.यू.एन. दर अनुबंध में भी उपलब्ध नहीं थी, अतः क्रय में प्रतिस्पर्धात्मक दरों को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 के नियम 11.2 के अनुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किए जाने चाहिए थे। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का , प्रावधानों का पालन न होने के परिणामस्वरुप 5.77 करोड़ रूपये का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी , राजस्थान द्वारा अनुमोदित दो बैलेट यूनिटों हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट की दरों की तुलना में 5.06 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा यानी सीएजी की टीम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव , विधि एवं विधायी कार्य(निर्वाचन)के इस स्पष्टीकरण(उत्तर) को खारिज कर दिया कि पी.वी.सी. फोमशीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट निर्धारित वोटिंग कम्पार्टमेंट जैसे ही हैं तथा क्रय में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

लेखापरीक्षा ने कहा- उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में वोटिंग कम्पार्टमेंट कोरूगेटिड प्लास्टिक बोर्ड से ही बनाये जाने चाहिए थे, जबकि विभाग द्वारा पी.वी.सी. फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किए गये जो निर्धारित साम्रगी से कई ज्यादा महंगे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी,मध्यप्रदेश ने भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशों का उल्लंघन किया।

ग्वालियर हलचल ने प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश , ग्वालियर कार्यालय के प्रवक्ता व उपमहालेखाकार जितेन्द्र तिवारी से पूछा कि उपरोक्त रिपोर्ट पर विधानसभा में क्या कार्रवाई हुई है?

वह बोले-अब आगे विधानसभा की पब्लिक एकाउण्ट कमेटी (पीएसी)लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अध्ययन करेगी। इसके अन्तर्गत प्रधानमहालेखाकार और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव ,विभाग प्रमुख, कलेक्टर इत्यादि को बुलाया जाता है। पूछा जाता है कि रिपोर्ट में जो दर्शाया गया है , उस पर क्या एक्शन लिया गया, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

यह पूछे जाने पर कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा किए अनियमित व्यय का मामला केन्द्रीय चुनाव आयोग से जुड़ा है, क्या वहां के स्तर पर कार्रवाई नहीं होती? प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक केन्द्रीय चुनाव आयोग एक्शन लेता है, नहीं लेता है , वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे।

भोपाल, 24 सितम्बर(ए.)। किसानों द्वारा किसान हितैषी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री चौहान का पुष्प-माला और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। यह कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग और सीमित किसानों की भागीदारी के साथ आयोजित हुआ।